न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी R-177-III/97 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31.05.97 के द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग, द्वारा के प्रकरण क्रमांक अपील 16/94—95.

.....

श्रीमती पारवती पत्नी बद्रीप्रसाद पुत्री रघुनाथ
निवासी—ग्राम तोंडा तहसील पोहरी जिला
शिवपुरी म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

हरविलास पुत्र ठाकुर किरार
निवासी—ग्राम सिरसौद तहसील एवं जिला
शिवपुरी म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ए0 के0 अग्रवाल अभिभाषक अनावेदक

आदेश

(आदेश दिनांक 22/12/16 को पारित)

आवेदिका की ओर से यह निगरानी मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 जिस आगे संहिता कहा गया है। की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 16/अपील/94—95 में पारित आदेश दिनांक 31.5.97 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी हरविलास पुत्र ठाकुरलाल द्वारा नायव तहसीलदार के न्यायालय में दिनांक 30—01—94 को मृतक पिल्लू की मृत्यु

दिनांक 16–12–93 के बाद वसीयतनामा के अधार पर ग्राम सिरसोद की भूमि के नामान्तरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायव तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 16–09–94 को मृतक पिल्लू के स्थान पर प्रतिप्रर्थी के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया। नायव तहसीलदार के इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी पारवती बाई पुत्री रघुनाथ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 05–10–94 को अपील प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 08–03–95 को नायव तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई इससे दुखित होकर आवेदिका द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 31.5.97 को अपील अस्वीकार की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी आवेदिका द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. आवेदिका की ओर से श्री एस0के0 वाजपेयी एवं श्री मुकेश वेलापुर अभिभाषक उपस्थित एवं प्रतिप्रार्थी की ओर से श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक उपस्थित । आवेदिका के विद्वान एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषकगण का बहस श्रवण किया गया। अपीलार्थी अभिभाषक का मुख्य तर्क है आवेदिका को अपनी साक्ष्य एवं प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खण्डन करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया है कि मृत भूमिस्वामी पिल्ले के कभी कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया जो वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है वह फर्जी है। अतः वसीयतनामा सिद्ध मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक भूल की है। आवेदिका के अभिषक का यह भी कहना है कि मृतक भूमिस्वामी एक लम्बे समय से लगातार बीमार था तथा उसके हित में मृतक ने मृत्यु के केवल एक दिन पूर्व दिनांक 15–12–93 को वसीयतनामा निष्पादित किया था जब कि भूमिस्वामी पिल्ले की मृत्यु दिनांक 14–12–93 को हुई । अतः तहसील न्यायालय द्वारा न्यायिका विवके का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है ।

4– प्रतिप्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क है कि भूमि स्वामी की मृत्यु दिनांक 16–12–93 को हुई है और वसीयतनामा दिनांक 15–12–93 को लम्वी बीमारी के कारण बताते हुये निष्पादित किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा इस्तहार एवं

आपत्ती आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया। नियत अवधि व्यतीत हो जाने के बाद आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । उक्त भूमि रघुनाथ पुत्र भोला की थी और इस पर रघुनाथ पुत्र भोला की मृत्यु होने पर मृतक पिल्लु का नाम अंकित हुआ यदि आवेदिका नधुनाथ की पुत्री होती तो रघुनाथ की मृत्यु के बाद पिल्लू के साथ उसका नामान्तरण होता । आवेदिका पारवती वपराना निवासी रघुनाथ पुत्र प्राणसुख उर्फ प्राणसिंह की पुत्री थी उनका रघुनाथ पुत्र भोला से कोई सम्बन्ध नहीं था। यदि वसीयत फर्जी है तो व्यवहार न्यायालय में दावा करना चाहिए था जो नहीं किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिप्रार्थी का नामान्तरण वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण करने पर कोई अवैधनिकता नहीं की गई है इस सम्बध में आर.एन. 1997 पृष्ट 12 का दृष्टान्त पेश किया। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखा जाकर आवेदिका की निगरानी निरस्त की जाए।

4. अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख एवं आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी में उल्लेखित मुददों का अध्ययन किया तथा उभय पक्षो के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर मनन किया गया। आवेदिका अभिभाषक का तर्क है कि साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 30–08–94 को प्रतिप्रार्थी की ओर से साक्ष्य एवं कथन लिये गये तथा दिनांक 12–09–94 को अपीलार्थी साक्ष्य हेतु उपस्थि हुए, परन्तु अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अन्तिम अवसर देकर पेशी दिनांक 13–09–94 नियत की गयी जो अभिभाषक द्वारा टीप किया गया। नियत पेशी दिनांक 13–09–94 को आवेदिका के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई क्योकि साक्ष्य का अन्तिम अवसर दिया गया था। अभिलेख की आज्ञा पत्र दिनांक 20–07–94 दिनांक 08–08–94, 16–08–94, 30–08–94 व 12–09–94 को साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर दिया गया तथा नियत पेशी दिनांक 13–09–94 को सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर नियत पेशी दिनांक 16–09–94 को आदेश पारित किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान तहसील न्यायालय द्वारा दिया गया । अतएव आवेदिका अभिभाषक का यह तर्क मान्य योग्य

नहीं है। दूसरा तर्क है कि वसीयत प्रतिप्रार्थी ने अपने आपको मृतक पिल्लू की बहन बताया है जबकि अभिलेख से ज्ञात है कि मृतक पिल्लू की माँ रुपी पिता ने पिल्लू के पिता रघुनाथ पुत्र भोला के मरने के बाद अन्य व्यक्ति रघुनाथ पुत्र प्राणसिंह निवासी वपराना से शादी कर ली अर्थात आवेदिका मृतक पिल्लू के पिता से पैदा न होकर अन्य से पैदा हुयी है वसीयत नामा एवं उसके गवाहों के कथनो से यह बात प्रमाणित है। यदि वसीयत फर्जी है तो व्यवहार न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहिए। अतः आवेदिका अभिभाषक का यह तर्क भी मान्य योग्य नहीं है। आवेदिका द्वारा निगरानी मेमो में वसीयत एवं मृतक पिल्लू की तिथियों को गलत उल्लेख किया गया है जो अभिलेखो से भिन्न है। अनावेदक के विद्वान अभिभाषक का कहना है कि वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही विधि अनुकुल है। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रतिप्रार्थी द्वारा मरने से पूर्व अपने चचेरा भाई के पक्ष मे समस्त चल एवं अचल संपत्ति का वारिस है तथा वसीयत में यह भी उल्लेख किया है कि उसकी कोई संतान एवं पत्नी नहीं है जो साक्ष्य द्वारा भी प्रमाणित किया गया है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्रकरण कमांक 16/अपील/94–95 में पारित आदेश दिनांक 31.5.97 विधि प्रावधानों से उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर